मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना
مولانا مظہرالحق عربی و فارسی یونیورسیٹی، پٹنہ
Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna

Ref. F-750/15/R.E. 291/19 Date. 15/06/2019

सेवा में

निदेशक/सचिव/प्राचार्य
सभी ज्ञान संसाधन केन्द्र
सभी मदरसा/सभी महाविद्यालय

विषय :– **शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :– **बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के पत्रांक 15/एम 1–42/2019–1237 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना संख्या– 2622 दिनांक 26/02/2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र (पत्र की छायाप्रति संलग्न) के आलोक में विश्वविद्यालान्तर्गत सभी ज्ञान संसाधन केन्द्रों/ मदरसों तथा सभी महाविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करते हुए प्रासंगिक पत्र में दिये गये अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली निर्गत की गई है, जिसे आप अपने संस्थानों/ मदरसों एवं महाविद्यालयों में व्यावहारिक रूप से लागू कराना सुनिश्चित करें। तदोपरांत इसकी सूचना विश्वविद्यालय मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

अनु0 : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
15/06/19
(कर्नल कामेश कुमार)
कुलसचिव

34, Ali Imam Path (Harding Road) Patna – 800 001 Ph./Fax – 0612-2215711(VC), 2215750 (Registrar)
E-mail:- mmhapupatna@yahoo.in, Website:- www.mmhapu.bih.nic.in
D/Jafar/ KRC

पत्रांक – 15/एम 1– 42/2019-1237

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 06/6/19

विषय :– शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के प्रसंग में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 284 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली निर्गत की गई है।

सुलभ प्रसंग हेतु उसकी प्रति संलग्न करते हुए आपको निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में उक्त प्रावधान को कार्यान्वित कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक :– सामान्य प्रशासन विभाग
की संदर्भित अधिसूचना।

विश्वासभाजन,

06.6.19

(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

New Hindi Letter 2019

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 284) पटना, मंगलवार, 26 फरवरी 2019

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
26 फरवरी 2019

सं0 11/आ0नी0–I–03/2019–2622—"बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019" की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019" कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। – इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम पदाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी स्थापना में सेवाओं और पदों के संबंध में नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी/कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु उत्तरदायी हो;

(ख) "विहित" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;

(ग) "स्थापना" से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार;

(2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम–6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर धारित किया गया हो अथवा जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहाय्यिकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो; और

(3) विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और

(4) सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठान;

(घ) **"सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना"** से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत/नियंत्रित या प्रबंधित हो :–

(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम–1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;

(ङ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम–F.No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य में समय–समय पर यथा संशोधित किया जाय ;

(च) "भर्त्ती वर्ष" से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती/नामांकन की जानी हो;

(छ) "आरक्षण" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;

(ज) "गुणागुण सूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची;

(झ) "राज्य" में सम्मिलित हैं बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;

(ञ) **"परिवार"** में सम्मिलित है अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता हो, अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन तथा पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें;

(ट) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत हैं इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

3. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधी भर्त्ती एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु मानदंड।**– (1) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं हैं, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी, जिनके परिवार की सभी श्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 (आठ) लाख रूपये से कम हो। वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसम्पत्ति होंगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसके परिवार की वार्षिक आय चाहे जो भी हो :–

(i) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर;

(ii) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगरपालिका के अधीन 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;

(iv) अधिसूचित नगरपालिका से इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

(3) किसी "परिवार" द्वारा धारित की गई एक अथवा एक से अधिक स्थानों/शहरों में अवस्थित समस्त परिसंपत्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को अवधारण करने हेतु एक साथ जोड़ा जायेगा।

(4) इस प्रयोजनार्थ पद "परिवार" में वह व्यक्ति सम्मिलित हैं जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता–पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान;

4. **प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया।**– नियम–3(2) की शर्त्तों के अधीन अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पतियां धारित नहीं करने का प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके

परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं। घोषणा प्रपत्र अनुसूची–II (प्रपत्र–II) के रूप में संलग्न है।

5. **वैधता।**– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

6. **सत्यापन।**– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन नियुक्तियां/नामांकन औपबंधिक एवं अभ्यर्थी द्वारा आय एवं परिसम्पति संबंधित प्रमाण–पत्र के सत्यापन के अध्यधीन होंगे। सत्यापन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जाली/गलत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया पाये जाने पर सेवा/नामांकन, बिना अग्रेतर कार्रवाई के, समाप्त कर दिया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

7. **विनिमय।**– यदि किसी भर्त्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले उम्मीदवार अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियां/सीटें अग्रणित नहीं की जायेंगी। ऐसी रिक्तियाँ/सीटें उसी समव्यवहार/नामांकन वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवार से भर दी जायेंगी।

8. **रोस्टर।**– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षण उपलब्ध करने से संबंधित अनुसूची–III में दिया गया 100 (सौ) बिन्दुओं का आदर्श मॉडल रोस्टर अपनाया जायेगा।

9. **कठिनाईयों का निराकरण।**– यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार, ऐसा कदम उठा सकेगी या ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी, जो इस निमयमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

③ ९०

अनुसूची–I
(प्रपत्र–I)

बिहार सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या–........................ दिनांक– ....

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पति ....गाँव/शहर .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... अनुमंडल ....जिला .... राज्य .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है :–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ....जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

(कार्यालय का मुहर सहित)

अनुसूची–II
(प्रपत्र–II)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र
स्वंय घोषणा पत्र

मैं.. ....पुत्र/पुत्री/पति... गाँव/शहर.. पोस्ट ऑफिस............................. थाना..................... प्रखण्ड........................ अनुमण्डल................ जिला...................... राज्य................. ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवदेन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैं.. जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अधिसूचित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्त्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय,पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू............. .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास .... अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता हूँ।

4. मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर।
ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नही हो उसे काट दें।

स्थान :– **आवदेक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।**

दिनांक :–

अनुसूची–III

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर :–

1. अनारक्षित
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3. अनारक्षित (महिला)
4. अनुसूचित जाति
5. अनारक्षित
6. पिछड़ा वर्ग
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
9. अनारक्षित (महिला)
10. अनुसूचित जाति (महिला)
11. अनारक्षित
12. पिछड़ा वर्ग (महिला)
13. अनारक्षित
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
15. अनारक्षित (महिला)
16. अनुसूचित जाति
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
18. पिछड़े वर्गों की महिला
19. अनुसूचित जनजाति
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित (महिला)
22. पिछड़ा वर्ग
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति (महिला)
25. अनारक्षित
26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
28. अनुसूचित जाति
29. अनारक्षित
30. पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित
32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. अनारक्षित (महिला)
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
38. पिछड़ा वर्ग (महिला)
39. अनारक्षित (महिला)
40. अनुसूचित जाति (महिला)
41. अनारक्षित
42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
43. अनारक्षित
44. अनारक्षित
45. अनारक्षित (महिला)
46. पिछड़ा वर्ग
47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
48. अनुसूचित जाति
49. अनारक्षित (महिला)
50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
51. अनारक्षित
52. पिछड़े वर्गों की महिला
53. अनारक्षित
54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
55. अनारक्षित (महिला)
56. अनुसूचित जाति
57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
58. पिछड़ा वर्ग
59. अनारक्षित
60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
61. अनारक्षित (महिला)
62. अनुसूचित जाति (महिला)
63. अनारक्षित
64. पिछड़ा वर्ग (महिला)
65. अनारक्षित
66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
68. अनुसूचित जाति
69. अनारक्षित
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. अनारक्षित
72. पिछड़ा वर्ग
73. अनारक्षित (महिला)
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
78. अनुसूचित जाति (महिला)
79. अनारक्षित (महिला)
80. पिछड़ा वर्ग
81. अनारक्षित
82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
83. अनारक्षित
84. पिछड़े वर्गों की महिला
85. अनारक्षित (महिला)
86. अनुसूचित जाति
87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
89. अनारक्षित
90. पिछड़ा वर्ग (महिला)
91. अनारक्षित (महिला)
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
95. अनारक्षित
96. पिछड़ा वर्ग
97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
98. अनुसूचित जाति (महिला)
99. अनारक्षित
100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)